

जेएफ़ एस-एफएएफ कस्टम हायरिंग प्लेटफॉर्म (टैफे फाउंडेशन की एक सीएसआर पहल) कृषि अभियान्त्रिकी सेक्टर का पुनर्जीवन



टी.आर. केसवन

गुप अध्यक्ष, टैफे

ट्रिक्टर्स एवं फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड)

कृषि यंत्रिकरण क्षेत्र ने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि छोटे और सीमांत किसानों के पास 80 प्रतिशत से अधिक भूमि है, वे ट्रैक्टर का स्वामित्व वहन करने में समर्थ नहीं हैं। दूसरी ओर, मशीनरी मालिक सेवा प्रदान करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि किसान अपनी मशीनों का उपयोग करने के लिए उन्हें तुरंत प्रतिपूर्ति करने में असमर्थ हैं। किसान आम तौर पर फसल के बाद किराये का भुगतान करते हैं। हालांकि एक एस.एम.ए.एम. (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन) योजना है, जो प्रति ऑपरेशन 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देती है, लेकिन कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण इसे कई राज्य सरकारों द्वारा शुरू नहीं किया गया है।

रेंटर्स के फ़ायदे का सौदा

भारत में, 85 लाख से अधिक ट्रैक्टर हैं जो 15 साल या उससे कम पुराने हैं और ये ट्रैक्टर औसतन एक वर्ष में लगभग 750-1,000 घंटे काम करते हैं। लेकिन

ऐसा नहीं है कि सभी किसानों को ये ट्रैक्टर किराए पर मिल जाते हैं। बीपीएल किसानों को ज्यादातर ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर एक तिहाई ट्रैक्टरों को अतिरिक्त 100 घंटों के लिए किराए पर दिया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि प्रति वर्ष ट्रैक्टर संचालन के 25 करोड़ घंटे हैं। यह सब बिना किसी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के और मौजूदा ट्रैक्टर उपलब्धता से भी सम्भव है। एनवेलप कैल्कुलेशन से पता चलता है कि इससे ट्रैक्टर मालिकों को 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो अपनी मशीनों को 1,200 रुपये प्रति घंटे की दर से किराए पर देते हैं।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि यंत्रिकरण छोटे किसानों तक पहुंचे, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण के तहत, टैफे ने किसान से किसान (एफ2एफ) कस्टम हायरिंग प्लेटफॉर्म नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया। यह प्लेटफॉर्म उन

किसानों को जोड़ता है, जिन्हें ट्रैक्टर और उपकरण की आवश्यकता होती है, उनके स्थानीय क्षेत्र में एक मोबाइल एप्लिकेशन और कॉल सेंटर के माध्यम से, यह सब मुफ्त में होता है। यह प्लेटफॉर्म एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है और गुणवत्ता, निर्भरता और समय पर डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ट्रैक्टर और सीएचसी के मालिकों को सीधे किसानों से जोड़ता है, जो यंत्रिकृत समाधान की आवश्यकता है। फार्म मशीनरी पर कोई ब्रांड प्रतिबंध नहीं है और किसी भी ब्रांड के उद्यमी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करा सकते हैं और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जेफार्म सर्विसेस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने या सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क या शुल्क नहीं लेती है। ऐप के अलावा, अधिकांश किसानों तक पहुंचने के लिए, जो ग्रामीण भारत से हैं, जेफार्म सर्विसेस एक बहुभाषी कॉल सेंटर की भी की सुविधा भी देता है, ताकि किसान स्मार्टफोन के बिना सेवाओं का उपयोग कर सकें। ऐप और कॉल सेंटर के अलावा,

जेफार्म सर्विसेस किसानों को जमीनी स्तर पर सहयोग और सहायता भी प्रदान करता है। अब तक, जेफार्म सर्विसेस ने इस प्लेटफॉर्म पर 74,00,000 से अधिक किसानों को सफलतापूर्वक नामांकित किया है और 82,00,000 से अधिक ऑर्डर और 157,00,000 घंटे से अधिक यंत्रिकरण किया है। इसने किसान उद्यमियों को इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 1,310 करोड़ रुपये से अधिक कमाने में सक्षम बनाया है।

16 राज्यों में उपस्थिति

जेफार्म सर्विसेस वर्तमान में 16 राज्यों में काम कर रही है। ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। जेफार्म सर्विसेज ने कृषि यंत्रिकरण के उपयोग और किसानों तक बेहतर पहुंच के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी विभागों, नोडल एजेंसियों और एफपीओ के साथ सहयोग किया।

एक आदर्श मॉडल

जेफार्म सर्विसेस प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि को लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल का एक आदर्श उदाहरण है। मंच द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से किसानों का डिजिटल सशक्तिकरण होता है और नए जमाने के ग्रामीण उद्यमियों की एक पीढ़ी तैयार होती है। यह कृषक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसरों में भी सहायता करता है, जो नए भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले अधिकांश राज्यों में कृषक समुदाय ने जेफार्म सर्विसेज को स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश में, जेफार्म सर्विसेज के साथ साझेदारी में राज्य सरकार ने हलधर योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों के लिए गहरी जुताई के लिए सहायता प्रदान की गई। यह पीपीपी मॉडल एक बड़ी सफलता है और महत्वपूर्ण सेवाओं को



प्रभावी तरीके से जनसमूह तक पहुंचाने के लिये इस योजना की सराहना भी की गयी है। जेफार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रचार, पहचान और लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण की सुविधा के लिए भी किया गया। मप्र सरकार ने संचालन और डिजिटल सत्यापन पूरा होने के दस दिनों के भीतर ही किराया शुल्क लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित कर दिया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि यंत्रिकरण छोटे किसानों तक पहुंचे, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण के तहत, TAFE ने किसान से किसान (एफ2एफ) कस्टम हायरिंग प्लेटफॉर्म नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया। यह प्लेटफॉर्म उन किसानों को जोड़ता है, जिन्हें ट्रैक्टर और उपकरण की जरूरत होती है, उनके स्थानीय क्षेत्र में एक मोबाइल एप्लिकेशन और कॉल सेंटर के माध्यम से, यह सब मुफ्त में होता है।

महामारी के दौरान प्रत्यक्ष लाभ

2020 और 2021 के दौरान, जब महामारी ने देश को तबाह किया, जेफार्म सर्विसेज ने अपने मंच के माध्यम से तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल योजना प्रदान करके छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। पहल यह सुनिश्चित करने

के लिए थी कि किसान खुद को बनाए रखने और संकट से निपटने में सक्षम हों। टैफे ने अपने मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टर मालिकों और उनके कृषि उपकरणों के एक बड़े समूह को एक साथ लिया और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 3 एकड़ तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त किराये की सेवाएं प्रदान कीं। सभी ट्रैक्टर मालिक, जिन्होंने अपनी मशीनें और उपकरण किराए पर दिए थे, उन्हें टैफे द्वारा प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से मुआवजा दिया गया था। आत्म-निर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न हितधारक अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु साथ आएं और जेफार्म सर्विसेज की तरह सार्वजनिक और निजी भागीदारी से वांछित परिणाम प्राप्त करें।

